

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क.-894/05
संस्थित दिनांक - 22/12/05

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोगी

विरुद्ध

हमीद खान पिता हबीब खान, उम्र 65 साल जाति मुसलमान,
साकिन वार्ड नं. 10 रजा नगर बालाघाट थाना कोतवाली,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक - 11/02/2015 को घोषित)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-28.11.2005 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम गोगाटोला बैहर बालाघाट रोड पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे नाजिया बेगम, जाकीर खान, तालिब, नौसाद, सुरेखा को उपहति कारित की तथा जुबैदा बी, जावेद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व कुरेशा बी, ताज मोहम्मद व खातून बी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28.12.2005 को नाजिया बेगम, सुरेखा बी, नौसाद, तालिब उर्फ मोनू साजिद खान, जुबैदा बी, जमील खान, जाकीर खान, कुरेशा बी, ताज मोहम्मद, खातून बी, शेख जावेद की ऑटो में बैठकर बैहर से उकवा रिश्तेदारी में जा रहे थे। ग्राम गोगाटोला के आगे मोड़ पर बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.-0120 के चालक हमीद खान ने बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर पलटी खिला दिया जिससे

ऑटो रिक्शा में बैठे व्यक्तियों को चोट आई और कुरेशा बी, ताज मोहम्मद, खातून बी की मृत्यु हो गई। देहाती नालिसी 0/5 मर्ग क्रमांक 0/74 जा.फो. की जांच एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध 153/05 धारा 304-ए, 279, 337, 338 भा.दं.वि. की कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए, 279, 337, 338 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए का अपराध-विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादिया ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक-28.11.2005 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम गोगाटोला बैहर बालाघाट रोड पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे नाजिया बेगम, जाकीर खान, तालिब, नौसाद, सुरेखा को उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं

लापरवाहीपूर्वक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे जुबैदा बी एवं जावेद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

(4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे कुरेशा बी, ताज मोहम्मद व खातून बी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी प्रीमिला श्रीवास्तव (अ.सा. 15) का कहना है कि दिनांक 28.11.2012 को अस्पताल चौकी जिला बालाघाट में चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये अस्पताल से डॉक्टर ए.के.जैन के द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर उसने मृतिका खातून बी पति अब्दुल सकूर मृत अवस्था में प्राप्त होने पर शून्य पर कायम किया था। उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-29 है। अस्पताल से डॉक्टर चौधरी द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा मृतिका ताज मोहम्मद पिता ताहिर खान का मृत अवस्था में प्राप्त होने पर शून्य पर कायम किया था। उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया था, जो प्रदर्श पी-30 है। उसने दोनों मृतकों के नक्शा पंचायतनामा के लिए नोटिस दिया था, जो प्रदर्श पी-31 एवं 32 है। उसने दोनों मृतकों को शव परीक्षण हेतु पी.एम. हेतु भेजा था, जो प्रदर्श पी-33 एवं प्रदर्श पी-34 है।

(08) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में ताज पिता ताहिर,

श्रीमती खातून पति अब्दुल सकूरू, जोवेदा पति सकिल, श्रीमती नजिरा बेगम पति सज्जू, तालिफ पिता असरफ, जावेद पिता शेख जमी, जाकीर पिता सबिर, साजिद पिता सबिर को रोड एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण भर्ती किया गया है। दिनांक 28.11.2005 को आरक्षक रामलाल क्रमांक 216 थाना बैहर के द्वारा श्रीमती नजिमा पति सज्जू को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के अग्र भाग पर बांये तरफ एवं ऑक्सीपिटल बोन पर चोट होना पाई थी। आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की थी जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। साकिर पिता सबिर के चिकित्सीय परीक्षण में बांये चेहरे पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। ताज पिता ताहिर के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के बांये तरफ पैराइटल बोन पर एवं बांये कान पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। आहत को आई चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। चोट के लिये टांके लगाये थे। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट एक्सरे हेतु रिफर किया था। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। आहत खातून बी पति सकूरू के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ पर बाहरी भाग पर एवं चेहरे के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को उसने एक्सरे की सलाह दी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। टांके लगाये गये थे। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। आहत जुबेदा पति साबिर खान के

चिकित्सीय परीक्षण में नाक के मध्य भाग पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी गई। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफ्र किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। साजिद पिता साबिर खान के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने आईब्रो पर एवं लोवर लीफ के नीचले होठ पर चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। टांके लगाये गये थे। आहत को एक्सरे की सलाह दी गई। टांके लगाये गये। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफ्र किया था। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। जावेद पिता शेखगनी के चिकित्सीय परीक्षण में नी ज्वाईट पर दाहिने तरफ एवं रिसट ज्वाईट के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। एक्सरे की सलाह दी गई। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफ्र किया था। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उसने आहत तालिब पिता असरद के चिकित्सीय परीक्षण में जांघ के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती किया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है। आहत कुमारी नवसाद पिता आसद खान के चिकित्सीय परीक्षण में ढूढी पर चोट होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है। श्रीमती सुरेखा बी पति हसरत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ पर बाहर की तरफ एवं दाहिने कान पर चोट होना पायी थी। चोटे साधारण प्रकृति की थी। कड़ी एवं बोथरी वस्तु से

आ सकती है। आहत को आई चोटे उसके जांच के 48 से 72 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 है। दिनांक 28.11.2005 को मृतिका श्रीमति कुरैशा बी पति फैज मोहम्मद के शव का बाह्य परीक्षण करने पर मृतक का शव चीत अवस्था में, मुंह और आंखे बंध, हाथ के नाखून पीले पड़ जाना, दाहिने पैर पर विकृति होना पाया था। दाहिने सीने एवं पैर पर तथा नाक के मध्य भाग पर चोट होना चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था। आंतरिक परीक्षण में सिर के फेनटल बोन राईट साईड पर अस्थिभंग होना, झिल्ली मस्तिष्क पीले पड़ जाना, चोट के पीछे धक्का जमा हुआ होना, पर्दा, पसली तीसरी और चौथी पसली में दाहिने तरफ फ्रैक्चर होना, हृदय में बहुत कम मात्रा में ब्लड होना पाया था। मृत्यु का प्रकार सदमा होना पाया रक्तस्राव के कारण मृत्यु कारित होना प्रतीत हो रही थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के आठ घण्टे की अन्दर की अवधि में होना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर वी.पी.समद (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 12.12.2005 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आहत जुबेदा पति शब्बीर खान के नेजर बोन का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 3972 है जिसे एक्सरे टेक्नेशियन के.एस.परिहार द्वारा दिनांक 29.11.2005 को लिया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने नेजरबोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 है। उसने आहत जाकीर पिता शब्बीन खान की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3981 का परीक्षण किया था जिसे एक्सरे टेक्नेशियन के.एस.परिहार द्वारा दिनांक 30.11.2005 को लिया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है। आहत जावेद पिता मोहम्मद गनी की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3963 के परीक्षण में रेडियस हड्डी के नीचले भाग पर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 है। दिनांक 21.12.2005 को आहत शाजिद खान पिता साबिर खान की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3979 का एक्सरे परीक्षण किया था जिसे एक्सरे टेक्नेशियन

ए.के.परिहार द्वारा दिनांक 29.11.2005 को लिया गया था। उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है। उसने दिनांक 21.12.2005 को जाकीर पिता साबिर की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3970 के परीक्षण में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 है।

(10) अभियोजन साक्षी नाजिया बेगम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे ग्राम परसाटोला के पास की है। वह ऑटो में बैठकर उकवा जा रही थी रास्ते में मोहसीन बस से टक्कर हो गई जिससे उसे और चार लोगों को चोट आई थी तथा कुरैशा, खातून व अन्य एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उसने पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। उसने पुलिस को घटना के बारे में मौखिक रूप से बताया था।

(11) अभियोजन साक्षी सुरेखा बी (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी है। उसकी रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई थी तो वह ऑटो में बैठकर जा रही थी। उस समय दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना किस कारण से हुई थी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-01 पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने पुलिस को कथन देने से स्पष्ट इन्कार किया।

(12) अभियोजन साक्षी नौसाद (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार साल पुरानी है। ऑटो रिक्शा पलटी खा गया था। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि बस ने टक्कर मारी थी। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-02 पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया।

(13) अभियोजन साक्षी तालिब उर्फ मोनू (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार साल पुरानी है। वह ऑटो में बैठकर उकवा जा रहा था। ऑटो में 9-10 लोग बैठे थे। ऑटो पलट गई और वह नीचे गिर गये। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उसे भी चोट आई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान

नहीं लिया था। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-03 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया।

(14) अभियोजन साक्षी साजिद खान (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन-चार साल पुरानी है। वह उसकी मम्मी, मौसी, नानी लोग ऑटो में बैठकर उकवा जा रहे थे तब सामने से अचानक बस आई और उसकी आंखों में अंधेरा आ गया उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं मालूम। होश आने पर उसे पता चला कि जिस ऑटो में वह बैठा था उसका सामने आ रही बस से एक्सीडेंट हो गया था। बाद में उसे जानकारी लगी कि आरोपी बस चला रहा था। दुर्घटना में उसे आंख के पास और घुठने पर चोट आई थी बाकी लोगों को भी चोट आई थी और उसके साथ ऑटो में बैठे कुरैशी बी, खातून बी और ताज की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी हमीद खान ने बस को तेजीगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये टक्कर मारी जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-04 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया।

(15) अभियोजन साक्षी जुबेदा बी (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः वर्ष पुरानी है। वह बैहर से उकवा ऑटो में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया। साक्षी को पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया।

(16) अभियोजन साक्षी शमीम (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 30.11.2005 को मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 का थाना बैहर परिसर में मैकेनिकल परीक्षण किया था। वाहन चालू अवस्था में होना पाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं वाहन के ड्रायवर साईड सामने तरफ की बाड़ी क्षतिग्रस्त थी।

(17) अभियोजन साक्षी जमील खान (अ.सा. 10) का भी कहना है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। किन्तु जप्ती पत्रक

प्रदर्श पी-23 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार की थी और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-24 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.-0120 मय दस्तावेजों के जप्त की थी एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस प्रदर्श पी-23 के अनुसार जप्त किया था।

(18) अभियोजन साक्षी जाकीर खान (अ.सा. 11) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग सात-आठ वर्ष पुरानी है। वह ऑटो से उकवा जा रहा था। उक्त ऑटो में लगभग सात लोग बैठे थे। जैसे ही उनकी ऑटो परसाटोला के आगे पहुंची तो बालाघाट तरफ से आती हुई बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि घटना बस ड्रायवर की लापरवाही से हुई थी तथा बस को आरोपी हमीद खान चला रहा था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-25 में दुर्घटना बस ड्रायवर की लापरवाही से होना बताया था।

(19) अभियोजन साक्षी शेख जावेद (अ.सा. 12) का कहना है कि घटना वर्ष 2005 के एक माह पुरानी उसने एक ऑटो रिक्शा खरीदा गया था। ऑटो से वह उकवा जा रहे थे। ऑटो में सात लोग बैठे थे। ऑटो को वह स्वयं चला रहा था। बालाघाट तरफ से आ रही बस ने ऑटो को टक्कर मार दी जिससे ऑटो पलट गई और वह बेहोश हो गया। दुर्घटना में उसके पैर व हाथ फ्रेक्चर हो गये थे एवं चेहरे पर व सिर पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दुर्घटना बस ड्रायवर की लापरवाही के कारण हुई थी। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि बस को आरोपी हमीद खान चला रहा था।

(20) अभियोजन साक्षी सम्पत (अ.सा. 13) का कहना है कि घटना उसके कथन से सात-आठ साल पुरानी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-27 के पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर होना बताया।

(21) अभियोजन साक्षी हगरू (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने घटना के

संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने घटनास्थल से कोई ऑटो रिक्शा जप्त किया हो और जप्ती पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर कराये हो। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कुरैशा बी की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई और प्रदर्श पी-27 व 28 के पंचनामे पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराये थे।

(22) अभियोजन साक्षी संतलाल (अ.सा. 16) एवं साक्षी चमेली मेरावी (अ.सा. 17) का कहना है कि पुलिस ने मृतिका कुरैशा बी का मृत्यु जांच पंचनामा तैयार किया था जो प्रदर्श पी-27 है। मृतिका कुरैशा बी के नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-35 उनके समक्ष तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(23) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने क्लेम राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध लेखबद्ध कराई है जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(24) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(25) अभियोजन साक्षी प्रीमिला श्रीवास्तव (अ.सा. 15) का कहना है कि दिनांक 28.11.2012 को अस्पताल चौकी जिला बालाघाट में चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत रहते हुये अस्पताल से डॉक्टर ए.के.जैन के द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर उसने मृतिका खातून बी पति अब्दुल सकूर मृत अवस्था में प्राप्त होने पर शून्य पर कायम किया था। उसके द्वारा मार्ग इंटीमेशन रिपोर्ट तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-29 है। अस्पताल से डॉक्टर चौधरी द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा मृतिका ताज मोहम्मद पिता ताहिर खान का मृत अवस्था में प्राप्त होने पर शून्य पर कायम किया था। उसके द्वारा मार्ग इंटीमेशन कायम किया गया था, जो प्रदर्श पी-30 है। उसने दोनों मृतकों के नक्शा पंचायतनामा के लिए नोटिस दिया था, जो प्रदर्श पी-31 एवं 32 है। उसने दोनों मृतकों को शव परीक्षण हेतु पी.एम. हेतु भेजा था, जो प्रदर्श पी-33 एवं प्रदर्श पी-34 है।

(26) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में ताज पिता ताहिर, श्रीमती खातून पति अब्दुल सकूरु, जोवेदा पति सकिल, श्रीमती नजिरा बेगम पति सज्जू, तालिफ पिता असरफ, जावेद पिता शेख जमी, जाकीर पिता सबिर, साजिद पिता सबिर को रोड एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण भर्ती किया गया है। दिनांक 28.11.2005 को आरक्षक रामलाल क्रमांक 216 थाना बैहर के द्वारा श्रीमती नजिमा पति सज्जू को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के अग्र भाग पर बांये तरफ एवं ऑक्सीपिटल बोन पर चोट होना पाई थी। आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की थी जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। साकिर पिता सबिर के चिकित्सीय परीक्षण में बांये चेहरे पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। ताज पिता ताहिर के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के बांये तरफ पैराईटल बोन पर एवं बांये कान पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। आहत को आई चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। चोट के लिये टांके लगाये थे। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट एक्सरे हेतु रिफर किया था। आहत को आई चोटे उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। आहत खातून बी पति सकूरु के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ पर बाहरी भाग पर एवं चेहरे के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को उसने एक्सरे की सलाह दी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। टांके लगाये गये थे। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोटे उसके

जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। आहत जुबेदा पति साबिर खान के चिकित्सीय परीक्षण में नाक के मध्य भाग पर चोट होना पायी थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी गई। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। साजिद पिता साबिर खान के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने आईब्रो पर एवं लोवर लीफ के नीचले होठ पर चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। टांके लगाये गये थे। आहत को एक्सरे की सलाह दी गई। टांके लगाये गये। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। जावेद पिता शेखगनी के चिकित्सीय परीक्षण में नी ज्वाईट पर दाहिने तरफ एवं रिसट ज्वाईट के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। एक्सरे की सलाह दी गई। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। उसने आहत तालिब पिता असरद के चिकित्सीय परीक्षण में जांच के बांये तरफ चोट होना पायी थी। आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। पैसेंट को आब्रजरवेशन हेतु भर्ती किया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई। आहत को आई चोट उसके जांच के 6 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है। आहत कुमारी नवसाद पिता आसद खान के चिकित्सीय परीक्षण में ढूढी पर चोट होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है। श्रीमती सुरेखा

बी पति हसरत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ पर बाहर की तरफ एवं दाहिने कान पर चोट होना पायी थी। चोटे साधारण प्रकृति की थी। कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। आहत को आई चोटे उसके जांच के 48 से 72 घण्टे के अन्दर की अवधि की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 है। दिनांक 28.11.2005 को मृतिका श्रीमति कुरैशा बी पति फैज मोहम्मद के शव का बाह्य परीक्षण करने पर मृतक का शव चीत अवस्था में, मुंह और आंखे बंध, हाथ के नाखून पीले पड़ जाना, दाहिने पैर पर विकृति होना पाया था। दाहिने सीने एवं पैर पर तथा नाक के मध्य भाग पर चोट होना चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था। आंतरिक परीक्षण में सिर के फेनटल बोन राईट साईड पर अस्थिभंग होना, झिल्ली मस्तिष्क पीले पड़ जाना, चोट के पीछे धक्का जमा हुआ होना, पर्दा, पसली तीसरी और चौथी पसली में दाहिने तरफ फ्रैक्चर होना, हृदय में बहुत कम मात्रा में ब्लड होना पाया था। मृत्यु का प्रकार सदमा होना पाया रक्तस्राव के कारण मृत्यु कारित होना प्रतीत हो रही थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के आठ घण्टे की अन्दर की अवधि में होना पाया। उसके द्वारा तैयार की गई मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 है।

(27) अभियोजन साक्षी डॉक्टर वी.पी.समद (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 12.12.2005 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आहत जुबेदा पति शब्बीर खान के नेजर बोन का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 3972 है जिसे एक्सरे टेक्नेशियन के.एस.परिहार द्वारा दिनांक 29.11.2005 को लिया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने नेजरबोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 है। उसने आहत जाकीर पिता शब्बीन खान की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3981 का परीक्षण किया था जिसे एक्सरे टेक्नेशियन के.एस.परिहार द्वारा दिनांक 30.11.2005 को लिया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है। आहत जावेद पिता मोहम्मद गनी की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3963 के परीक्षण में रेडियस हड्डी के नीचले भाग पर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण

रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 है। दिनांक 21.12.2005 को आहत शाजिद खान पिता साबिर खान की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3979 का एक्सरे परीक्षण किया था जिसे एक्सरे टेक्नेशियन ए.के.परिहार द्वारा दिनांक 29.11.2005 को लिया गया था। उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है। उसने दिनांक 21.12.2005 को जाकीर पिता साबिर की एक्सरे प्लेट क्रमांक 3970 के परीक्षण में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 है।

(28) अभियोजन साक्षी नाजिया बेगम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे ग्राम परसाटोला के पास की है। वह ऑटो में बैठकर उकवा जा रही थी रास्ते में मोहसीन बस से टक्कर हो गई जिससे उसे और चार लोगों को चोट आई थी तथा कुरैशा, खातून व अन्य एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उसने पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। उसने पुलिस को घटना के बारे में मौखिक रूप से बताया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि दुर्घटना में हाजिर अदालत आरोपी की कोई गलती नहीं थी। बस का चालक बस को धीमी गति से चला रहा था।

(29) अभियोजन साक्षी सुरेखा बी (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी है। उसकी रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई थी तो वह ऑटो में बैठकर जा रही थी। उस समय दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना किस कारण से हुई थी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-01 पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने पुलिस को कथन देने से स्पष्ट इन्कार किया।

(30) अभियोजन साक्षी नौसाद (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार साल पुरानी है। ऑटो रिक्शा पलटी खा गया था। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि बस ने टक्कर मारी थी। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-02 पढ़कर बताये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया।

(31) अभियोजन साक्षी तालिब उर्फ मोनू (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार साल पुरानी है। वह ऑटो में बैठकर उकवा जा रहा था। ऑटो में 9-10 लोग बैठे थे। ऑटो पलट गई और वह नीचे गिर गये। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उसे भी चोट आई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान नहीं लिया था। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-03 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया।

(32) अभियोजन साक्षी साजिद खान (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन-चार साल पुरानी है। वह उसकी मम्मी, मौसी, नानी लोग ऑटो में बैठकर उकवा जा रहे थे तब सामने से अचानक बस आई और उसकी आंखों में अंधेरा आ गया उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं मालूम। होश आने पर उसे पता चला कि जिस ऑटो में वह बैठा था उसका सामने आ रही बस से एक्सीडेंट हो गया था। बाद में उसे जानकारी लगी कि आरोपी बस चला रहा था। दुर्घटना में उसे आंख के पास और घुठने पर चोट आई थी बाकी लोगों को भी चोट आई थी और उसके साथ ऑटो में बैठे कुरैशी बी, खातून बी और ताज की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी हमीद खान ने बस को तेजीगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये टक्कर मारी जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-04 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया।

(33) अभियोजन साक्षी जुबेदा बी (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः वर्ष पुरानी है। वह बैहर से उकवा ऑटो में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया। साक्षी को पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया।

(34) अभियोजन साक्षी शमीम (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 30.11.2005 को मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 का थाना बैहर परिसर में मैकेनिकल परीक्षण किया था। वाहन चालू अवस्था में होना पाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वाहन

परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं वाहन के ड्रायवर साईड सामने तरफ की बाड़ी क्षतिग्रस्त थी।

(35) अभियोजन साक्षी जमील खान (अ.सा. 10) का भी कहना है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-23 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार की थी और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-24 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.-0120 मय दस्तावेजों के जप्त की थी एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस प्रदर्श पी-23 के अनुसार जप्त किया था।

(36) अभियोजन साक्षी जाकीर खान (अ.सा. 11) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग सात-आठ वर्ष पुरानी है। वह ऑटो से उकवा जा रहा था। उक्त ऑटो में लगभग सात लोग बैठे थे। जैसे ही उनकी ऑटो परसाटोला के आगे पहुंची तो बालाघाट तरफ से आती हुई बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि घटना बस ड्रायवर की लापरवाही से हुई थी तथा बस को आरोपी हमीद खान चला रहा था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने प्रदर्श पी-25 में दुर्घटना बस ड्रायवर की लापरवाही से होना बताया था।

(37) अभियोजन साक्षी शेख जावेद (अ.सा. 12) का कहना है कि घटना वर्ष 2005 के एक माह पुरानी उसने एक ऑटो रिक्शा खरीदा गया था। ऑटो से वह उकवा जा रहे थे। ऑटो में सात लोग बैठे थे। ऑटो को वह स्वयं चला रहा था। बालाघाट तरफ से आ रही बस ने ऑटो को टक्कर मार दी जिससे ऑटो पलट गई और वह बेहोश हो गया। दुर्घटना में उसके पैर व हाथ फ्रैक्चर हो गये थे एवं चेहरे पर व सिर पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दुर्घटना बस ड्रायवर की लापरवाही के कारण हुई थी। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि बस को आरोपी हमीद खान चला रहा था।

(38) अभियोजन साक्षी सम्पत (अ.सा. 13) का कहना है कि घटना उसके कथन से सात-आठ साल पुरानी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-27 के पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर होना बताया।

(39) अभियोजन साक्षी हगरू (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने घटनास्थल से कोई ऑटो रिक्शा जप्त किया हो और जप्ती पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर कराये हो। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कुरैशा बी की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई और प्रदर्श पी-27 व 28 के पंचनामे पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराये थे।

(40) अभियोजन साक्षी संतलाल (अ.सा. 16) एवं साक्षी चमेली मेरावी (अ.सा. 17) का कहना है कि पुलिस ने मृतिका कुरैशा बी का मृत्यु जांच पंचनामा तैयार किया था जो प्रदर्श पी-27 है। मृतिका कुरैशा बी के नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-35 उनके समक्ष तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(41) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी नाजिया बेगम (अ.सा. 1), सुरेखा बी (अ.सा. 2), नौसाद (अ.सा. 3), तालिब उर्फ मोनू (अ.सा. 4), साजिद खान (अ.सा. 5), जुबेदा बी (अ.सा. 6), शमीम (अ.सा. 9), जमील खान (अ.सा. 10), जाकीर खान (अ.सा. 11), शेख जावेद (अ.सा. 12), सम्पत (अ.सा. 13), हगरू (अ.सा. 14), संतलाल (अ.सा. 16), चमेलीबाई (अ.सा. 17) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी साजिद खान (अ.सा. 5), शमीम (अ.सा. 9), जमील खान (अ.सा. 10), जाकीर खान (अ.सा. 11), शेख जावेद (अ.सा. 12), सम्पत (अ.सा. 13), हगरू (अ.सा. 14) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नाजिया बेगम (अ.सा. 1), शेख जावेद (अ.सा. 12) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा. 07), डॉक्टर बी.पी.समद (अ.सा. 8) की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट एवं शव परीक्षण रिपोर्ट तथा साक्षी प्रीमिला श्रीवास्तव द्वारा की गई मर्ग

इन्टीमेशन कार्यवाही से व साक्षियों के कथनों से दुर्घटना में नाजिया बेगम, जाकीर खान, तालिब, नौसाद, सुरेखा को उपहति कारित होना एवं जुबैदा बी, जावेद को अस्थिभंग होना तथा कुरेशा बी, ताज मोहम्मद, खातून बी की मृत्यु कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों की विवेचना से आरोपी हमीद खान ने दिनांक 28.11.2005 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम गोगाटोला बैहर बालाघाट रोड पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे नाजिया बेगम, जाकीर खान, तालिब, नौसाद, सुरेखा को उपहति कारित की तथा जुबैदा बी, जावेद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व कुरेशा बी, ताज मोहम्मद व खातून बी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(42) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी हमीद खान ने दिनांक 28.11.2005 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम गोगाटोला बैहर बालाघाट रोड पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर उसमें बैठे नाजिया बेगम, जाकीर खान, तालिब, नौसाद, सुरेखा को उपहति कारित की तथा जुबैदा बी, जावेद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व कुरेशा बी, ताज मोहम्मद व खातून बी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(43) परिणाम स्वरूप आरोपी हमीद खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(44) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(45) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-एफ.0120 एवं वाहन से

—//19//—

आपराधिक प्रकरण क.-894/05

संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)